

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आन्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

13.05.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

27.05.2024

प्रकरण संख्या
188/2024

शंकर लाल पिता केसुराम महाजन उम्र-वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान.

- प्रार्थी

बनाम

श्याम लाल दत्तक पुत्र हाबुलाल काबरा उम्र- वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान

श्याम लाल दत्तक पुत्र गोपी लाल सोनी उम्र- वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान

रामसहाय पिता रामस्वरूप सोमानी उम्र वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान

रामधन पिता रामपाल सोमानी उम्र वयस्क निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा राजस्थान

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा


- विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी किशन लाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 1225 की अभिलिखित आराजियात 3271, 3275, 3276, 3276/2, 3277 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5806 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये भेंटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। जजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन नन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा कारोईकलां प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत्. 2073-2076 के खाता संख्या 1225 की अभिलिखित आराजियात 71, 3275, 3276, 3276/2, 3277 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5806 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय मकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की इखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो न मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह प्रापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत धारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से श करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को जारी जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जारी जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ
भीलवाडा